

ग्रामीण शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय विकास के अंतर्संबंध का अध्ययन

श्रीमती प्रीति मिश्रा
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा विभाग,
मानसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
भिलाई, छत्तीसगढ़



<http://www.ujhmds.org/> || Vol. 2 No. 3 (2026): Special August Issue

Date of Submission: 02-07-2026

Date of Acceptance: 22-07-2026

Date of Publication: 17-08-2026

सारांश— ग्रामीण भारत में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता और विकास समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। प्रस्तुत शोधपत्र ग्रामीण शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय विकास के अंतर्संबंध का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन में मध्य प्रदेश के चार जनपदों के 60 ग्रामीण शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालय से विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्यों, शिक्षकों और अभिभावकों सहित कुल 480 प्रतिभागियों से आँकड़े संग्रहीत किए गए। आँकड़ा संग्रहण हेतु शोधकर्ता-निर्मित सामुदायिक सहभागिता मापनी, विद्यालय विकास मूल्यांकन अनुसूची तथा अर्ध-संरचित साक्षात्कार का प्रयोग किया गया। पियर्सन सहसंबंध विश्लेषण में सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय विकास के मध्य सार्थक धनात्मक सहसंबंध ($r = 0.61, p < 0.01$) पाया गया। उच्च सामुदायिक सहभागिता वाले विद्यालयों का विकास प्राप्तांक निम्न सहभागिता वाले विद्यालयों से सार्थक रूप से अधिक पाया गया ($t = 8.34, p < 0.01$)। अध्ययन अनुशंसा करता है कि विद्यालय प्रबंधन समितियों को सशक्त बनाकर और समुदाय की शैक्षिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करके ग्रामीण विद्यालयों के समग्र विकास को गति दी जा सकती है।

मुख्य शब्द: सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय विकास, ग्रामीण शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावक सहभागिता, विकेंद्रीकृत शासन

प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा दर्शन में समुदाय और विद्यालय का संबंध सदैव अविभाज्य रहा है। प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था में समुदाय ही शिक्षा का पोषक और संरक्षक था। आधुनिक काल में यद्यपि शिक्षा प्रमुखतः राज्य का उत्तरदायित्व बन गई है, तथापि समुदाय की भूमिका न तो समाप्त हुई है और न ही हो सकती है। विशेषकर ग्रामीण भारत में, जहाँ सरकारी तंत्र की पहुँच और क्षमता सीमित है, समुदाय की सहभागिता विद्यालय के प्रभावी संचालन और विकास के लिए अपरिहार्य है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) ने सामुदायिक सहभागिता को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee – SMC) के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें 75% सदस्य अभिभावकों एवं स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि होते हैं तथा जिसमें वंचित वर्गों और महिलाओं का समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। SMC को विद्यालय विकास योजना (School Development Plan – SDP) तैयार करने, विद्यालय अनुदान के उपयोग की निगरानी करने तथा विद्यालय के समग्र कामकाज पर नज़र रखने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी विद्यालय

प्रशासन में अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

तथापि, विधिक प्रावधान और व्यावहारिक क्रियान्वयन के मध्य प्रायः गहरा अंतराल विद्यमान रहता है। अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि SMC का गठन तो अधिकांश विद्यालयों में हो गया है, किंतु उनकी बैठकें नियमित नहीं होतीं, सदस्यों को उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की जानकारी नहीं है, और समिति प्रायः कागजी औपचारिकता बनकर रह जाती है। दूसरी ओर, कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ सामुदायिक सहभागिता ने शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थी ठहराव और विद्यालय अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार किया है।



प्रस्तुत शोध का उद्देश्य इसी विविधता को समझना है — अर्थात् यह जानना कि ग्रामीण विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता का स्तर कैसा है, इसके विभिन्न आयाम क्या हैं, और यह सहभागिता विद्यालय विकास के किन पक्षों को सर्वाधिक प्रभावित करती है।

साहित्य समीक्षा

सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय विकास के अंतर्संबंध पर भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में सघन शोध कार्य उपलब्ध है।

एस्टीन (1995) ने विद्यालय-परिवार-समुदाय भागीदारी का एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत किया जिसमें सहभागिता के छह प्रकार चिह्नित किए — पालन-पोषण, संप्रेषण, स्वयंसेवा, गृह अधिगम, निर्णय-प्रक्रिया और समुदाय से सहयोग। उनका तर्क था कि जब ये छहों प्रकार की सहभागिता सक्रिय होती है, तो विद्यार्थी उपलब्धि, उपस्थिति और व्यवहार में सार्थक सुधार होता है।

विश्व बैंक (2004) ने विकासशील देशों में शिक्षा के विकेंद्रीकरण और सामुदायिक सहभागिता पर एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें पाया गया कि जिन देशों में विद्यालय स्तर पर समुदाय को निर्णय-प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, वहाँ विद्यालय की जवाबदेही, संसाधन उपयोग की दक्षता और शैक्षिक परिणामों में सुधार हुआ।

भारतीय संदर्भ में, प्रोब टीम (1999) ने भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर एक ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थिति, शिक्षण की निम्न गुणवत्ता और सामुदायिक उदासीनता को प्रमुख समस्याओं के रूप में चिह्नित किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि समुदाय की उदासीनता और विद्यालय की निम्न गुणवत्ता एक दुष्चक्र बनाते हैं — समुदाय इसलिए सहभागी नहीं होता क्योंकि विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देता, और विद्यालय इसलिए सुधार नहीं कर पाता क्योंकि समुदाय का दबाव और सहयोग नहीं मिलता।

ASER (2014) की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ने दर्शाया कि ग्रामीण भारत में कक्षा पाँचवीं के लगभग आधे बच्चे कक्षा दूसरी स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते — यह अधिगम संकट सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता को और प्रबल करता है क्योंकि केवल शासकीय तंत्र इस संकट का समाधान करने में अक्षम सिद्ध हो रहा है।

शर्मा (2015) ने राजस्थान के ग्रामीण विद्यालयों में SMC के कामकाज का अध्ययन किया और पाया कि अधिकांश SMC सदस्यों को अपने विधिक अधिकारों — विशेषकर विद्यालय विकास योजना बनाने और अनुदान निगरानी के अधिकार — की जानकारी नहीं थी। SMC की बैठकें अनियमित थीं और जहाँ बैठकें होती भी थीं, वहाँ प्रायः प्रधानाध्यापक ही निर्णय लेते थे और SMC सदस्य मौन श्रोता बने रहते थे। उन्होंने इसे 'प्रतीकात्मक सहभागिता' कहा।

सिंह एवं गुप्ता (2016) ने सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थी उपस्थिति के संबंध का अध्ययन किया और पाया कि जिन विद्यालयों में अभिभावक नियमित रूप से विद्यालय आते थे और शिक्षकों से संवाद करते थे, वहाँ विद्यार्थी उपस्थिति दर सार्थक रूप से अधिक थी। उन्होंने तर्क दिया कि अभिभावक सहभागिता बालक को यह संदेश देती है कि उसकी शिक्षा परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, जो उसकी उपस्थिति और अधिगम अभिप्रेरणा दोनों को प्रभावित करता है।

पांडेय (2017) ने ग्रामीण विद्यालयों की अवसंरचना विकास में सामुदायिक योगदान का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अनेक गाँवों में समुदाय ने श्रमदान, भूमि दान और आर्थिक योगदान के माध्यम से विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, खेल मैदान विकास और चहारदीवारी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथापि, यह योगदान प्रायः भौतिक अवसंरचना तक सीमित रहा और शैक्षिक गुणवत्ता जैसे अमूर्त पक्षों में सामुदायिक सहभागिता अपेक्षाकृत कम दिखी।

कुमार एवं मिश्रा (2018) ने उत्तर प्रदेश में RTE अधिनियम के अंतर्गत SMC के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया और पाया कि केवल 38% SMC ने विद्यालय विकास योजना तैयार की थी, 22% SMC ने विद्यालय अनुदान का लेखा-जोखा देखा था, और 15% SMC ने शिक्षक उपस्थिति की निगरानी की थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि SMC का सशक्तिकरण — ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास तीनों स्तरों पर — अत्यंत आवश्यक है।

त्रिपाठी एवं वर्मा (2019) ने सफल सामुदायिक सहभागिता के मॉडलों का अध्ययन करते हुए कुछ उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए — जैसे राजस्थान का 'लोक जुम्बिश' कार्यक्रम और मध्य प्रदेश का 'एकलव्य' मॉडल — जहाँ समुदाय की सार्थक भागीदारी ने शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया। उन्होंने इन मॉडलों की सफलता का कारण 'सार्थक सहभागिता' (meaningful participation) को बताया — जहाँ समुदाय को केवल सूचित नहीं किया जाता, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में वास्तविक अधिकार दिया जाता है।

रावत (2020) ने ग्रामीण महिलाओं की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका का अध्ययन किया और पाया कि जिन SMC में महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी थी, वहाँ बालिका नामांकन और ठहराव सार्थक रूप से अधिक था। तथापि, अधिकांश SMC में महिला सदस्य नाममात्र की उपस्थिति रहती थीं और उनकी आवाज़ पुरुष सदस्यों एवं प्रधानाध्यापक के समक्ष दब जाती थी। दुबे एवं शुक्ला (2021) ने कोविड-19 महामारी के दौरान सामुदायिक सहभागिता की भूमिका का अध्ययन किया और पाया कि जिन गाँवों में सक्रिय SMC और अभिभावक समूह थे, वहाँ लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों तक अधिगम सामग्री पहुँचाने, मोबाइल-आधारित शिक्षण समन्वय और बच्चों की विद्यालय वापसी सुनिश्चित करने में बेहतर प्रदर्शन हुआ।

जोशी (2022) ने पंचायती राज संस्थाओं और विद्यालय विकास के संबंध का अध्ययन किया और बताया कि जिन ग्राम पंचायतों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और पंचायत कोष से विद्यालय विकास हेतु अनुदान आवंटित किया, वहाँ विद्यालय अवसंरचना में सार्थक सुधार हुआ। चौधरी एवं तिवारी (2023) ने NEP 2020 के सामुदायिक सहभागिता संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए बताया कि नीति ने विद्यालय कॉम्प्लेक्स की अवधारणा प्रस्तुत की है जिसमें एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी विद्यालय मिलकर संसाधनों का साझा उपयोग करेंगे — इसमें स्थानीय समुदाय की भूमिका निर्णायक होगी।

उपरोक्त साहित्य से स्पष्ट है कि सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय विकास के संबंध पर सैद्धांतिक सहमति व्यापक है, किंतु सहभागिता के विभिन्न आयामों का विद्यालय विकास के विभिन्न पक्षों पर पृथक-पृथक प्रभाव — विशेषकर मात्रात्मक प्रमाणों सहित — अपर्याप्त रूप से अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को संबोधित करता है।

शोध उद्देश्य

- ग्रामीण विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता के स्तर और स्वरूप का आकलन करना।
- सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय विकास के मध्य संबंध का परीक्षण करना।
- सामुदायिक सहभागिता के विभिन्न आयामों में से विद्यालय विकास के सबसे प्रबल पूर्वकथक की पहचान करना।

परिकल्पनाएँ

H₁: सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय विकास के मध्य सार्थक धनात्मक सहसंबंध होगा।

H₂: उच्च सामुदायिक सहभागिता वाले विद्यालयों का विकास प्राप्तांक निम्न सहभागिता वाले विद्यालयों से सार्थक रूप से अधिक होगा।

H₃: सामुदायिक सहभागिता के आयाम विद्यालय विकास का सार्थक पूर्वकथन करेंगे।

शोध प्रविधि

शोध अभिकल्प: प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित शोध विधि अपनाई गई जिसमें मात्रात्मक (प्रश्नावली एवं मूल्यांकन अनुसूची) और गुणात्मक (अर्ध-संरचित साक्षात्कार) दोनों पद्धतियों का संयोजन किया गया। विश्लेषण की इकाई विद्यालय रखी गई — अर्थात् प्रत्येक विद्यालय के विभिन्न प्रतिभागियों के प्रत्युत्तरों को समेकित करके उस विद्यालय का सामुदायिक सहभागिता प्राप्तांक और विकास प्राप्तांक निर्धारित किया गया।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श: मध्य प्रदेश के चार जनपदों (भोपाल, सागर, रीवा, इंदौर) के ग्रामीण शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय इस शोध की जनसंख्या थे। बहुस्तरीय प्रतिदर्शन द्वारा प्रत्येक जनपद से 15 विद्यालय (कुल 60 विद्यालय) चयनित किए गए। प्रत्येक विद्यालय से 8 प्रतिभागी — 1 प्रधानाध्यापक, 2 शिक्षक, 3 SMC सदस्य (अभिभावक) और 2 सामुदायिक प्रतिनिधि (सरपंच/वार्ड सदस्य/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता) — कुल 480 प्रतिभागी चयनित किए गए।

उपकरण:

(अ) **सामुदायिक सहभागिता मापनी:** शोधकर्ता द्वारा एप्टीन (1995) के ढाँचे के आधार पर विकसित। इसमें 32 कथन सम्मिलित हैं जो चार उप-मापनियों में विभक्त हैं — प्रशासनिक सहभागिता (8 कथन: SMC बैठकें, विद्यालय विकास योजना, अनुदान निगरानी, निर्णय-प्रक्रिया में

भागीदारी), शैक्षिक सहभागिता (8 कथन: अभिभावक-शिक्षक संवाद, गृहकार्य निगरानी, शिक्षण गतिविधियों में सहयोग, पुस्तकालय/प्रयोगशाला में योगदान), भौतिक सहभागिता (8 कथन: अवसंरचना विकास, स्वच्छता, श्रमदान, भूमि/सामग्री योगदान), तथा सामाजिक-सांस्कृतिक सहभागिता (8 कथन: उत्सव/कार्यक्रम आयोजन, नामांकन अभियान, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, विद्यालय-समुदाय संबंध)। प्रत्येक कथन पंचबिंदु लिफ्ट मापनी पर मापा गया। अधिकतम प्राप्तांक 160। विशेषज्ञ वैधता (5 शिक्षा विशेषज्ञों) एवं क्रोनबैक अल्फा विश्वसनीयता ($\alpha = 0.85$) स्थापित की गई।

(ब) **विद्यालय विकास मूल्यांकन अनुसूची:** यह एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उपकरण है जो प्रत्येक विद्यालय का विकास स्तर मापता है। इसमें पाँच आयाम हैं — अवसंरचना विकास (भवन, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, बिजली), शैक्षिक गुणवत्ता (विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, शिक्षण सामग्री, अधिगम परिणाम), विद्यार्थी ठहराव एवं उपस्थिति (नामांकन, ड्रॉपआउट दर, औसत उपस्थिति), विद्यालय प्रशासन (अभिलेख प्रबंधन, समय-सारणी अनुपालन, MDM संचालन), और विद्यालय वातावरण (स्वच्छता, सुरक्षा, समावेशिता)। प्रत्येक आयाम को चार-बिंदु मापनी (अत्यंत संतोषजनक, संतोषजनक, आंशिक, असंतोषजनक) पर शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अभिलेख सत्यापन के आधार पर अंकित किया गया। अधिकतम प्राप्तांक 100।

(स) **अर्ध-संरचित साक्षात्कार:** 60 में से 20 विद्यालयों (10 उच्च सहभागिता, 10 निम्न सहभागिता) के प्रधानाध्यापकों, SMC अध्यक्षों और सरपंचों के साथ गहन साक्षात्कार किए गए।

आँकड़ा विश्लेषण: प्रत्येक विद्यालय का सामुदायिक सहभागिता प्राप्तांक उस विद्यालय के 8 प्रतिभागियों के प्रत्युत्तरों के माध्य के रूप में परिकलित किया गया ($N=60$ विद्यालय)। विद्यालय विकास प्राप्तांक शोधकर्ता के प्रत्यक्ष मूल्यांकन पर आधारित था। पियर्सन सहसंबंध, स्वतंत्र प्रतिदर्श t -परीक्षण, बहु प्रतिगमन विश्लेषण तथा विषयगत विश्लेषण (thematic analysis) का प्रयोग किया गया।

परिणाम एवं विवेचना

तालिका 1: सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालय विकास का वर्णनात्मक सांख्यिकी ($N=60$ विद्यालय)

चर	माध्य (M)	मानक विचलन (SD)	न्यूनतम	अधिकतम
सामुदायिक सहभागिता (कुल, 0-160)	84.67	22.43	38	142

— प्रशासनिक सहभागिता (0-40)	18.34	7.12	8	36
— शैक्षिक सहभागिता (0-40)	19.72	6.48	9	35
— भौतिक सहभागिता (0-40)	25.83	6.91	10	38
— सामाजिक-सांस्कृतिक सहभागिता (0-40)	20.78	6.24	8	36
विद्यालय विकास (कुल, 0-100)	52.38	16.71	22	86

तालिका 1 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता का समग्र स्तर ($84.67/160 = 52.92\%$) मध्यम श्रेणी में है। उप-आयामों में भौतिक सहभागिता (64.58%) सर्वोच्च तथा प्रशासनिक सहभागिता (45.85%) न्यूनतम रही। यह पांडेय (2017) के निष्कर्ष से पूर्णतः मेल खाता है जिन्होंने पाया था कि सामुदायिक योगदान प्रायः भौतिक अवसंरचना तक सीमित रहता है। प्रशासनिक सहभागिता — जिसमें SMC बैठकें, विकास योजना निर्माण और अनुदान निगरानी सम्मिलित हैं — का निम्न स्तर शर्मा (2015) और कुमार एवं मिश्रा (2018) के निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

विद्यालय विकास का माध्य ($52.38/100$) भी मध्यम श्रेणी में है, जो दर्शाता है कि अधिकांश ग्रामीण विद्यालय अभी वांछनीय विकास स्तर से काफी दूर हैं। न्यूनतम-अधिकतम सीमा ($22-86$) में व्यापक भिन्नता विद्यालयों के मध्य गंभीर असमानता को प्रतिबिंबित करती है।

तालिका 2: सामुदायिक सहभागिता के आयामों एवं विद्यालय विकास के मध्य सहसंबंध ($N=60$)

सामुदायिक सहभागिता आयाम	विद्यालय विकास (r)	सार्थकता
सामुदायिक सहभागिता (कुल)	0.61	$p < 0.01$
प्रशासनिक सहभागिता	0.57	$p < 0.01$
शैक्षिक सहभागिता	0.54	$p < 0.01$
भौतिक सहभागिता	0.48	$p < 0.01$
सामाजिक-सांस्कृतिक सहभागिता	0.43	$p < 0.01$

तालिका 2 से स्पष्ट है कि सामुदायिक सहभागिता (कुल) और विद्यालय विकास के मध्य सार्थक उच्च-मध्यम धनात्मक सहसंबंध ($r = 0.61$, $p < 0.01$) विद्यमान है, जो परिकल्पना H_1 की पुष्टि करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है — इसका अर्थ है कि जो विद्यालय अधिक सामुदायिक सहभागिता प्राप्त कर रहे हैं, उनका समग्र विकास भी अधिक है।

उप-आयामों में प्रशासनिक सहभागिता का विद्यालय विकास से सर्वाधिक सहसंबंध ($r = 0.57$) पाया गया — यह एक प्रतीत होने में विरोधाभासी किंतु अत्यंत तार्किक निष्कर्ष है। प्रशासनिक सहभागिता का स्तर यद्यपि सबसे कम था (तालिका 1), किंतु जहाँ यह विद्यमान थी, वहाँ विद्यालय विकास पर इसका प्रभाव सर्वाधिक पाया गया। इसका कारण यह है कि प्रशासनिक सहभागिता — SMC का सक्रिय कामकाज, विकास योजना निर्माण, अनुदान निगरानी — विद्यालय शासन (school governance) की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है, जो बदले में सभी अन्य विकास पक्षों (अवसंरचना, शिक्षण, ठहराव) को प्रभावित करती है। त्रिपाठी एवं वर्मा (2019) ने भी 'सार्थक सहभागिता' — जो मूलतः निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी है — को सबसे प्रभावशाली सहभागिता प्रकार बताया था।

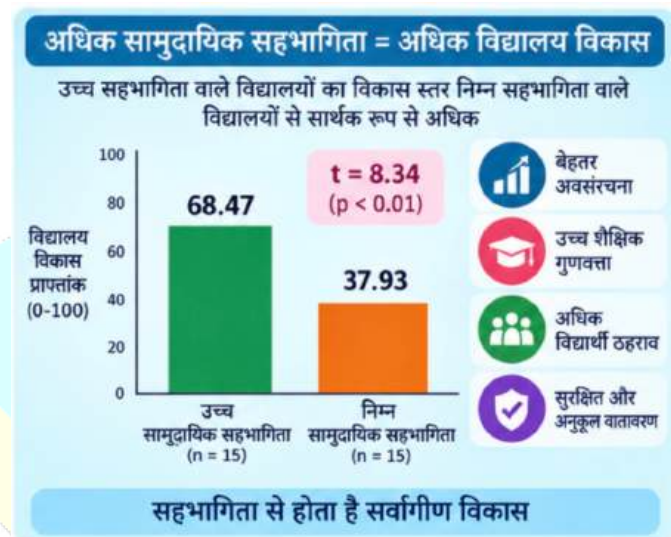
भौतिक सहभागिता ($r = 0.48$) का सहसंबंध अपेक्षाकृत कम रहा — इसकी व्याख्या यह है कि भौतिक योगदान (श्रमदान, निर्माण कार्य) यद्यपि दृश्यमान और सराहनीय है, किंतु यह विद्यालय विकास के केवल एक पक्ष (अवसंरचना) को प्रभावित करता है, शैक्षिक गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यकुशलता को सीमित रूप से।

उच्च एवं निम्न सामुदायिक सहभागिता वाले विद्यालयों की तुलना:

सामुदायिक सहभागिता प्राप्तांक के आधार पर विद्यालयों को उच्च (ऊपरी चतुर्थक, $n=15$) एवं निम्न (निचला चतुर्थक, $n=15$) समूहों में विभक्त किया गया।

चर	उच्च सहभागिता ($n=15$) M (SD)	निम्न सहभागिता ($n=15$) M (SD)	t-मान	सार्थकता
विद्यालय विकास (कुल)	68.47 (10.82)	37.93 (9.46)	8.34	$p < 0.01$
अवसंरचना विकास	15.27 (3.18)	9.13 (2.87)	5.56	$p < 0.01$
शैक्षिक गुणवत्ता	13.40 (3.42)	7.47 (2.93)	5.12	$p < 0.01$

विद्यार्थी ठहराव एवं उपस्थिति	14.53 (2.89)	8.80 (3.14)	5.23	$p < 0.01$
-------------------------------	--------------	-------------	------	------------



उच्च सहभागिता वाले विद्यालयों का विकास प्राप्तांक (68.47) निम्न सहभागिता वाले विद्यालयों (37.93) से लगभग दोगुना तथा अत्यधिक सार्थक रूप से अधिक ($t = 8.34$, $p < 0.01$) पाया गया, जो परिकल्पना H_2 की सशक्त पुष्टि करता है। विकास के प्रत्येक उप-आयाम — अवसंरचना, शैक्षिक गुणवत्ता, विद्यार्थी ठहराव — में यह अंतर सार्थक रहा।

बहु प्रतिगमन विश्लेषण: चारों सहभागिता आयामों को पूर्वकथक के रूप में प्रविष्ट करने पर: $R^2 = 0.43$, $F(4,55) = 10.38$, $p < 0.01$ । प्रशासनिक सहभागिता ($\beta = 0.33$, $p < 0.01$) सबसे प्रबल पूर्वकथक, इसके पश्चात् शैक्षिक सहभागिता ($\beta = 0.26$, $p < 0.01$), भौतिक सहभागिता ($\beta = 0.17$, $p < 0.05$) और सामाजिक-सांस्कृतिक सहभागिता ($\beta = 0.12$, $p > 0.05$) का स्थान रहा। इससे परिकल्पना H_3 की पुष्टि होती है। सामाजिक-सांस्कृतिक सहभागिता स्वतंत्र रूप से सार्थक पूर्वकथक नहीं पाई गई, जो इंगित करता है कि उत्सव आयोजन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ यद्यपि समुदाय-विद्यालय संबंध को सुदृढ़ करती हैं, किंतु विद्यालय विकास पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित है।



उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत हैं:

SMC सशक्तिकरण कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाए जाने चाहिए जिनमें SMC सदस्यों को उनके विधिक अधिकारों, विद्यालय विकास योजना निर्माण, अनुदान निगरानी और शैक्षिक गुणवत्ता मापन का प्रशिक्षण दिया जाए। यह प्रशिक्षण एक बार की कार्यशाला नहीं, बल्कि निरंतर मार्गदर्शन और सहायता (mentoring and handholding) के रूप में होना चाहिए। SMC में महिलाओं और वंचित वर्गों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए — जैसे SMC बैठकों का समय महिलाओं की सुविधा के अनुसार निर्धारित करना, पृथक महिला चर्चा सत्र आयोजित करना और वंचित वर्गों के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रधानाध्यापकों को सामुदायिक सम्पर्क और नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि गुणात्मक निष्कर्ष दर्शाते हैं कि प्रधानाध्यापक की भूमिका सामुदायिक सहभागिता को प्रेरित करने या अवरुद्ध करने दोनों में निर्णायक है। पंचायती राज संस्थाओं को विद्यालय विकास से व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाना चाहिए — जोशी (2022) की अनुशंसा के अनुरूप — ताकि स्थानीय शासन और विद्यालय शासन के मध्य तालमेल सुनिश्चित हो।

गुणात्मक निष्कर्ष: साक्षात्कारों के विषयगत विश्लेषण से तीन प्रमुख विषयवस्तुएँ उभरीं। प्रथम, 'नेतृत्व का प्रभाव' — जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक ने सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी और SMC सदस्यों को सक्रिय रूप से जोड़ा, वहाँ सहभागिता उच्च पाई गई। एक सक्रिय SMC अध्यक्ष ने साक्षात्कार में कहा: "जब प्रधानाध्यापक जी ने हमें बताया कि हमारा अधिकार है यह जानना कि विद्यालय का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तब हमने पहली बार महसूस किया कि हम भी इस विद्यालय के मालिक हैं।" द्वितीय, 'विश्वास का चक्र' — जहाँ समुदाय ने विद्यालय में निवेश किया (समय, श्रम, धन), वहाँ विद्यालय ने बेहतर परिणाम दिए, जिसने समुदाय का विश्वास और मजबूत किया — प्रोब टीम (1999) द्वारा वर्णित दुष्चक्र का विपरीत, एक 'सद्चक्र'। तृतीय, 'जाति एवं शक्ति की गतिकी' — अनेक गाँवों में SMC की संरचना ग्रामीण शक्ति-संरचना को प्रतिबिंबित करती थी, जहाँ प्रभावशाली जाति/वर्ग के सदस्यों की आवाज़ प्रबल थी और वंचित वर्गों की सहभागिता सीमित रहती थी।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि सामुदायिक सहभागिता और ग्रामीण विद्यालय विकास के मध्य सार्थक एवं सुदृढ़ धनात्मक संबंध विद्यमान है। उच्च सामुदायिक सहभागिता वाले विद्यालयों का विकास निम्न सहभागिता वाले विद्यालयों से लगभग दोगुना पाया गया — यह अंतर नीतिगत दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहभागिता के आयामों में प्रशासनिक सहभागिता — अर्थात् निर्णय-प्रक्रिया, योजना निर्माण और निगरानी में समुदाय की भागीदारी — विद्यालय विकास का सबसे प्रबल पूर्वकथक पाया गया, जबकि वर्तमान में इसका स्तर सबसे कम है। इसका स्पष्ट संदेश यह है कि ग्रामीण विद्यालय विकास हेतु केवल भौतिक योगदान (श्रमदान, निर्माण) पर्याप्त नहीं — समुदाय को विद्यालय शासन में वास्तविक अधिकार और क्षमता दोनों प्रदान करने होंगे।



शोध की सीमाएँ: यह अध्ययन मध्य प्रदेश के चार जनपदों के 60 विद्यालयों तक सीमित है। विश्लेषण की इकाई विद्यालय होने के कारण प्रतिदर्श आकार (N=60) अपेक्षाकृत लघु है, जो सांख्यिकीय शक्ति (statistical power) को प्रभावित कर सकता है। सहसंबंधात्मक अभिकल्प होने के कारण कारणात्मक निष्कर्ष सीमित हैं — यह संभव है कि विकसित विद्यालय अधिक सामुदायिक सहभागिता आकर्षित करते हों, न कि सहभागिता विकास का कारण हो। भावी शोधकर्ताओं को प्रायोगिक अभिकल्प (SMC सशक्तिकरण हस्तक्षेप और उसके प्रभाव का मापन), बृहत्तर प्रतिदर्श, एवं अनुदैर्घ्य अध्ययन की अनुशंसा की जाती है।

संदर्भ सूची

- ASER (2014). वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2014. प्रथम, नई दिल्ली.
- एफ्टीन, जे.एल. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. *Phi Delta Kappan*, 76(9), 701-712.
- कुमार, ए. एवं मिश्रा, पी. (2018). RTE अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का क्रियान्वयन: उत्तर प्रदेश का अध्ययन. *भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका*, 37(2), 56-72.
- चौधरी, एन. एवं तिवारी, आर. (2023). NEP 2020 और सामुदायिक सहभागिता: विद्यालय कॉम्प्लेक्स की अवधारणा. *शिक्षा नीति पत्रिका*, 8(1), 45-60.
- जोशी, वी. (2022). पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण विद्यालय विकास: एक अंतर्संबंधात्मक अध्ययन. *ग्रामीण शासन पत्रिका*, 14(2), 78-94.
- त्रिपाठी, ए. एवं वर्मा, के. (2019). सामुदायिक सहभागिता के सफल मॉडल: लोक जुम्बिश और एकलव्य से सीख. *शिक्षा विमर्श*, 15(2), 34-50.
- दुबे, एम. एवं शुक्ला, ए. (2021). कोविड-19 और सामुदायिक सहभागिता: ग्रामीण विद्यालयों का अध्ययन. *समकालीन शिक्षा*, 19(1), 67-82.
- पांडेय, डी. (2017). ग्रामीण विद्यालयों की अवसंरचना विकास में सामुदायिक योगदान. *ग्रामीण शिक्षा शोध*, 5(2), 45-60.
- प्रोब टीम (1999). *Public Report on Basic Education in India (PROBE)*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
- रावत, पी. (2020). ग्रामीण महिलाओं की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका और बालिका शिक्षा पर प्रभाव. *स्त्री शिक्षा पत्रिका*, 15(1), 89-104.
- विश्व बैंक (2004). *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डी.सी.
- शर्मा, आर. (2015). विद्यालय प्रबंधन समिति का कामकाज: राजस्थान के ग्रामीण विद्यालयों का अध्ययन. *शिक्षा एवं विकास पत्रिका*, 5(1), 23-38.
- शिक्षा मंत्रालय (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.
- सिंह, बी. एवं गुप्ता, एम. (2016). सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थी उपस्थिति: ग्रामीण विद्यालयों का अध्ययन. *भारतीय शिक्षा समीक्षा*, 13(2), 112-128.
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009). *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009*. भारत सरकार.

UNIVERSAL JOURNAL
OF HUMANITIES
AND
MULTI-DISCIPLINARY STUDIES